(29)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 84/2019

अपीलार्थीनी –

01. नन्दकंवर पत्नि श्री नरपत सिह निवासी 67/1 गांव जाटियासनी बोनाराडा, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण –

01. बागसिंह पुत्र श्री जोगसिंह जी जाति राजपूत निवासी ग्राम जाटियासनी बोरानाडा जिला जोधपुर।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

01. अपीलांट अधिवक्ता श्री भागीरथ सिंह उपस्थित
02. रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनोप सिंह उपस्थित

निर्णय दिनांक 28-5-2025

पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थिनी के पति की पुश्तैनी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 67/1 वाके ग्राम जाटियासनी बोरानाडा तहसील पटवार क्षेत्र भाण्डू कला तहसील झंवर जिला जोधपुर में स्थित है। जिस प्रार्थी बहैसियत खातेदारा काबिज है। ग्राम जाटियासनी के खसरा संख्या 67/1 के उत्तर पूर्वी दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 काबिज है उससे आगे खसरा संख्या 67 में से रास्ता पर कटाणी रास्ता है। उक्त रास्ते से प्रार्थिया जो कि खसरा संख्या 67 में से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करती है। प्रार्थिया के खसरा संख्या 67/1 में जाने के लिए कोई भी वैकल्पिक रास्ता नही है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थिया के खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से रास्ते के अभाव में प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों का उपभोग नही कर पा रही है प्रार्थिया द्वारा चाहे गये सबसे लघुन्तक एवं निकटतम रास्ते का नजरी नक्शा में वर्णित भूमि में से होते हुए प्रार्थिया की भूमि मे आता हैं। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त ऐसा करने से इन्कार व रास्ता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता हैं। प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र मे संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी , व बी से सी नया रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाकर मौके पर कायम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसकी विधिवत तामिल प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की गई।

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिस पर कार्यालय तहसीलदार झंवर के पत्रांक/पालना/कोर्ट/2025/152 दिनांक 26.05.2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया कि ग्राम जाटियासनी के खसरा संख्या 67, 67/1 राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 67/1 रकबा 1.2221 हैक्टेयर खातेदारी नरपतसिंह पुत्र जोगसिंह राजपूत के नाम से दर्ज है। वादीनी नन्दकंवर सा खातेदारी भूमि में नाम नही हैं, उनके पति नरपत सिह के नाम खातेदारी भूमि है। रेकर्ड के अनुसार खसरा संख्या 67 अप्रार्थी संख्या 01 बागसिह पुत्र श्री जोगसिंह सा देह के नाम दर्ज हैं जो कटाणी रास्ता खसरा संख्या 69 से लगता हुआ है जिसके पीछे दक्षिणी दिशा की तरफ प्रार्थिनी नन्दकंवर के पति की खातेदारी भूमि 67/1 स्थित है। वर्तमान में खसरा संख्या 67 में से रास्ता चलायमान है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

(31)

चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अनुसार यदि कोई काश्तकार किसी अन्य काश्तकार की जोत में से नया मार्ग चाहता है तो यह आत्यांतिक आवश्यकता का होना चाहिए एवं केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही होना चाहिए। साथ ही खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव होना चाहिए। तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्रार्थिया खसरा संख्या 67 में से आवागमन कर रही है एवं प्रकरण में खसरा संख्या 67/1 जिसके लिए रास्ता चाहा गया है वह नरपत सिंह पुत्र जोगसिंह के नाम है, जो कि प्रार्थिया स्वयं भी नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज 28-5-2025 दिनांक को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी